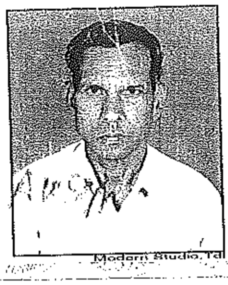

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 065777

'सॉई शिक्षा विकास ट्रस्ट'

149 सिविल लाइन्स, कल्पना नगर इटावा (उ0प्र0)

स्मृति-पत्र

यह ट्रस्ट डीड श्री अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री सालिग राम निवासी ग्राम बहादुरपुर कासिमपुर थाना शकरौली जिला एटा (उ0प्र0) द्वारा जो कि उस ट्रस्ट के निर्माणकर्ता (गठनकर्ता) हैं द्वारा आज दिनांक 10-12-12 को तैयार करके प्रस्तुत की गई है।

इस ट्रस्ट के निर्माणकर्ता श्री अशोक कुमार सिंह इसका निर्माण इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि भारतीय समाज के शैक्षणिक विकास हेतु इस ट्रस्ट के माध्यम से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट की परिसम्पत्ति के रूप में रू0: 10,000.00 एकत्रित किया है।

1. ट्रस्ट का नाम - सॉई शिक्षा विकास ट्रस्ट होगा।
2. ट्रस्ट का कार्यालय - 149, सिविल लाइन्स कल्पना नगर इटावा (उ0प्र0) होगा। ट्रस्टीगण आपसी सहमति से इसे अन्य स्थान पर भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट के समेकित उद्देश्य निम्नांकित होंगे-

1. शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी एवं शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक उ0मा0, स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के लिये हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने हेतु विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना और इन

......2

329
13 नवम्बर [illegible]

[illegible]
नकल की [illegible]
[illegible] (2291).

ड्राफ्ट हीर

प्रतिफल मालियत 10000/- रू०

दाखिल शुल्क [illegible] शुल्क योग [illegible] कुमार वाणीय स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

100 20 120 800

श्री अशोक कुमार सिंह पु० स्व० सालिगराम
निवासी बहादुरपुर कासिमपुर तह० जलेसर
[illegible] जलेसर जि० ए० [illegible] 14-12-2012
[illegible] 12 बजे दिन के [illegible] किया

14-12-2012

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

अशोक कुमार सिंह उपरोक्त व श्रीमती कुसुम यादव प० [illegible] सिंह व कुसुमवीर सिंह पु० किताब सिंह व [illegible] पु० किताब सिंह नि०ग्रा० सिविल लाइन्स इटावा ने स्वीकार किया

(1) जिनकी पहचान ज्ञान सिंह पु० भगवान सिंह
निवासी मुकुन्दपुर तह० जलेसर
(2) श्री कुंवरपाल पाल सिंह [illegible]
निवासी मुह० किला जलेसर ने की

14-12-2012

कुसुम यादव

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 065778

उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यकता होने पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना।

2. इंजीनियरिंग, मेडीकल, प्रबन्धन, पैरामेडीकल, नर्सिंग, फार्मेसी और अन्य सभी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा उनका विकास एवं संचालन करना तथा इन क्षेत्रों में नवीन शोध हेतु अपने शैक्षिक संस्थानों में सुविधायें/प्रयोगशालायें स्थापित करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यकता होने पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना।

3. अपने शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक शारीरिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं विकलांग छात्र/छात्राओं की शिक्षा हेतु शैक्षिक तथा अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

4. उपरोक्त शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक होने पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित अस्पताल खोलना तथा उनका संचालन करना।

..........3

3.. / 13-12-12

लवकुमार वार्ष्णेय स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

कुसुम यादव

[illegible] । पक्ष साक्षीगणों के अंगुष्ठ
चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

[illegible] सिंह दुबे
14-12-2012

कुसुम यादव

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

₹. 100 Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AY 065779

(3)

विधान एवं नियमावली

1. ट्रस्ट का नाम - सॉई शिक्षा विकास ट्रस्ट होगा।
2. ट्रस्ट का कार्यालय - 149, सिविल लाइन्स कल्पना नगर इटावा (उ0प्र0) होगा। ट्रस्टीगण आपसी सहमति से इसे अन्य स्थान पर भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. ट्रस्ट का वर्ष - 2012
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत वर्ष

इस ट्रस्ट को संचालित करने के लिये निम्नलिखित ट्रस्टीगण होंगे।

क्र.सं.	नाम	उम्र	पद	पता	हस्ताक्षर
1	श्रीमती कुसुम यादव पत्नी श्री किताब सिंह	46 वर्ष	मेनेजिंग ट्रस्टी (प्रबन्ध न्यासी)	149,सिविल लाइन्स इटावा	
2	श्री कुसुमवीर सिंह पुत्र श्री किताब सिंह	24 वर्ष	संयुक्त न्यासी(ज्वांइट मेनेजिंग ट्रस्टी)	149,सिविल लाइन्स इटावा	
3	श्री आकाश पुत्र श्री किताव सिंह	20 वर्ष	ट्रस्टी (न्यासी)	149,सिविल लाइन्स इटावा	

...........4

231
13-12-12

कुमार वार्ष्णेय स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

कुलदीप यादव

INDIA NON JUDICIAL

₹. 100 ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 065781

उपरोक्त ट्रस्टी आजीवन निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुये ट्रस्ट का संचालन करेंगे।

1. ट्रस्टीकरण की सभी बैठ्कों की अध्यक्षता मेनेजिंग ट्रस्टी द्वारा तथा मेनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थित में ज्वांइट मेनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मेनेजिंग ट्रस्टी व ज्वांइट मेनेजिंग ट्रस्टी दोनों के अनुपस्थिति की दशा में किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। ट्रस्ट बैठ्कों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा।
2. मेनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा बैंक के समस्त खातों का संचालन किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अथवा मेनेजिंग ट्रस्टी की अक्षमता अथवा अनुलब्धता पर ज्वांइट ट्रस्टी के हस्ताक्षर से खाते का संचालन होगा ताकि ट्रस्ट की व्यवस्था समुचित रूप से संचालित हो सके।
3. ट्रस्ट के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समिति का चयन ट्रस्ट के तीनों पदाधिकारियों द्वारा ही आम सहमति से किया जायेगा। प्रबन्ध समिति के किसी भी पदाधिकारी का चयन तथा निष्कासन ट्रस्टीगणों के बहुमत के आधार पर ही किया जायेगा।
4. ट्रस्टीगणों द्वारा चयनित किसी संस्था की प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध समिति का कोई पदाधिकारी यदि संस्था के हितों के विपरीत कार्य करता है तो ट्रस्टीगण बहुमत के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी वक्त या तो पूरी प्रबन्ध समिति को भंग कर सकते हैं या किसी पदाधिकारी को बिना कारण बताओं नोटिस दिये निष्कासित कर सकते हैं।

..........................5

वाणिज्य स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   AY 065782

5. ट्रस्टीगण यदि स्वेच्छा से समाज की और अधिक सेवा करना चाहते हैं तो ट्रस्ट द्वारा संचालित एक संस्था कई संस्थाओं या सभी संस्थाओं में प्रबन्धक/मंत्री, उपप्रबन्धक/उपमंत्री तथा कोषाध्यक्ष पद पर प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी भी बन सकते हैं और कोई भी ट्रस्टी स्वेच्छा से किसी संस्था की प्रबन्ध समिति से ट्रस्टीगणों को विश्वास में लेकर कार्यमुक्त हो सकता है।
6. ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्ध आय व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अवश्य आयोजिक की जायेगी।
7. ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा।
8. बैठकों की कार्यवाही निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।
9. आय व्यय के रजिस्टर पर मेनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर संयुक्त रूप से भुगतान व आय प्रमाणित करने के लिये किये जायेंगे।
10. ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति पर मेनेजिंग ट्रस्टी (प्रबन्ध न्यासी) को पूर्ण नियन्त्रण होगा।
11. मेनेजिंग ट्रस्टी (प्रबन्ध न्यासी) की आज्ञा के बिना किसी भी बैठक को आहूत नहीं किया जा सकता है।

..............6

A. Singh   कुसुम यादव   कुसुमवीर सिंह   Akash Yadav

13-12-12

नगद.धार वार्षिक स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
लाo नंo 2

कुसुम यादव

पचास रुपये FIFTY RUPEES
रु.50 Rs.50
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 570332

12. ट्रस्ट के सुचारू रूप से संचालन के लिये आय व्यय का व्यौरा बनाया जायेगा। जिसका अनुमोदन तथा विश्लेषण ट्रस्टीगणों की बैठक में किया जायेगा।
13. स्मृति-पत्र में वर्णित तीनों प्रारम्भिक व्यक्तियों के अतिरिक्त इस ट्रस्ट का कोई भी अन्य ब्यक्ति न तो सदस्य हो सकता है और न ही पदाधिकारी। जब तक वर्तमान ट्रस्ट मण्डल के कम से कम दो लोग जीवित रहेंगे तब तक इस ट्रस्ट में किसी अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया जायेगा। जब एक ही सदस्य जीवित रह जायेगा तो उसे अधिकार होगा कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक अपने उत्तराधिकारियों में से ही किन्हीं दो व्यक्तियों को ट्रस्टी के रूप में नामित करें। ट्रस्ट के प्रारम्भिक तीनों ट्रस्टीगण में जब तक एक भी आखिरी ट्रस्टी जीवित रहेगा तब तक वही मेनेजिंग ट्रस्टी रहेगा। प्रारम्भिक तीनों ट्रस्टीगणों की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के सदस्य होंगे, जिसमें बड़ा पुत्र ही मेनेजिंग ट्रस्टी होगा। आखिरी जीवित वचे मेनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नामित किये गये नये ट्रस्टी यदि ट्रस्ट के हित में कार्य नहीं करते हैं तो मेनेजिंग ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह उन्हें हटाकर दूसरे ट्रस्टी नामित करें। जिससे ट्रस्ट की व्यवस्था अग्रिम कार्यो के लिये सुचारू रूप से संचालित हो सके।
14. ट्रस्ट के इस विधान में मेनेजिंग ट्रस्टी के निर्देशानुसार ऐसा कोई भी संशोधन किया जा सकता है जो उसकी दृष्टि में ट्रस्ट के संचालन हेतु आवयश्क हो। किसी भी स्थिति में कठिनाई उत्पन्न होने पर मेनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्याओं का जो समाधान किया जायेगा वही सर्वमान्य होगा।

384
13-12-12

लखनपुर वार्ष्णेय स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 570379

(7)

इस ट्रस्ट का विलय अन्य किसी ट्रस्ट/समिति में नहीं किया जायेगा। यदि कोई समिति/ट्रस्ट जनहित में अपना विलय इस ट्रस्ट में करना चाहता है उस समिति/ ट्रस्ट द्वारा बहुमत प्रस्ताव पारित करके उस ट्रस्ट/समिति का विलय कर सकेगा लेकिन विलय के बाद पिछली ट्रस्ट/ समिति के किसी भी पदाधिकारी को इस ट्रस्ट मे रखने की बाध्यता नहीं होगी। इस पूरी विलय प्रक्रिया को लागू करने के लिये ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ही अधिकृत होगा। यदि ट्रस्ट को अन्य किसी कार्य को सम्पादित करने के लिये विधिक रूप से कोई समिति के पंजीकरण की आवश्यकता हुई तो वह समिति भी इस ट्रस्ट के अधीन ही होगी और सारे अधिकार भी मेनेजिंग ट्रस्टी व अन्य ट्रस्टीगणों को ही होंगे और मेनेजिंग ट्रस्टी संस्था/ समिति के संचालन के लिये किसी को भी पदाधिकारी/कमेटी नामित कर सकता है और यदि इसके द्वारा ट्रस्ट/ संस्था/ समिति के हितों के विरूद्ध कोई कार्य किया गया तो तत्काल प्रभाव से मेनेजिंग ट्रस्टी को अधिकार होगा ि कवह उन्हें हटाकर पुनः नये पदाधिकारी/कमेटी नामित कर दें तथा इस संस्था/समिति के खातों का भी संचालन मेनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा एकल रूप से किया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार मेनेजिंग ट्रस्टी में ही निहित है।

...............8

335
13-12-12

...कुमार वार्ष्णेय स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

कुसुम यादव

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 570380

(8)

ट्रस्टीगण के अधिकार

1. ट्रस्ट के फण्ड का समुचित प्रबन्ध करना तथा होने वाली आय, लाभ एवं ब्याज को प्राप्त कराना उस पर होने वाले व्यय व अन्य देनदारियों का भुगतान करना।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी ही ट्रस्ट का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होगा। ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना। ट्रस्ट की तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाही लिखना, लिपिबद्ध करना, सुनाना तथा कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। ट्रस्ट की अदालती कार्यवाही करना ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों की व्यवस्था करना उनका आकस्मिक निरीक्षण करना प्रधानाचार्य को अवकाश देना व उसके द्वारा संचालित विद्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन,पदोन्नति, पदच्युत करना, वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना व भुगतान करना। ट्रस्ट की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, क्रय तथा विक्रय करना हस्तान्तरण किराये व पट्टे पर लेने देने सम्बन्धित प्रपत्रों, दस्तावेजों, शर्तनामों, बैनामों आदि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के विकास हेतु समस्त प्रकार की धनराशियाँ सरकारी विभागों से अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना, अनुदान वाले प्रपत्रों दस्तावेजों आदि पर हस्ताक्षर करना, ट्रस्ट की ओर से ऋण देने वाले के पक्ष में बन्धक वाले प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
3. ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयो करने हेतु अधिकृत होगे जो उन्हें विशेष रूप से मेनेजिंग ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त किये गये हों तथा जो ट्रस्ट के सुचारु संचालन में उपयोगी एवं हित साधक हों।

...........9

336
13-12-82

मार वार्ष्णेय स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

अनुज यादव

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु. 50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 570381

(9)

4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टगणों का होगा। इस कार्य हेतु मेनेजिंग ट्रस्टी ही अधिकृत होगें।

5. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट डीड द्वारा प्रदत्त की कई शक्तियों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत प्राविधानिक उत्तरादायित्वों का निर्वाहन करेंगे।

6. ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छा पूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/वार्षिक चन्दा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेंगे।

7. ट्रस्ट के समस्त लेख एवं आय व्यय का विवरण निर्धारित लेखा/अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की समस्त प्राप्तियॉ एवं भुगतान लेखा, आय-व्यय, वेलेन्स शीट तैयार कराकर उसका किसी योग्य चार्डर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराया जायेगा।

8. ट्रस्टीगण द्वारा समय समय पर ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों तथा लेखा लिपिक कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी तथा उसके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेगे ऐसे कर्मचारियों का देय वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फण्ड से ही भुगतान किये जायेंगे।

...............19

33
13-12-12

लवकुमार वार्ष्णेय स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसर (एटा)
ला० नं० 2

कुसुम यादव

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 570382

(10)

9. ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वह बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर ट्रस्ट के व्यापक हित में ट्रस्ट की अनुपयोगी सम्पत्ति को विक्रय कर सकेगे या गिरवी रख सकेंगें किन्तु गिरवी रखकर या बेचकर जो धन प्राप्त होगा वह सर्वसम्मति से ट्रस्ट या ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के विकास हेतु या ट्रस्ट की किसी अन्य सम्पत्ति को क्रय करनें हेतु ही उपयोग किया जायेगा।

10. ट्रस्ट के सभी फण्ड आयकर अधिनियम की धारा-13 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त एवं निवेशित किये जायेंगे।

ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति, यदि किसी कारणवश ट्रस्ट भंग हो जाये अथवा समाप्त हो जाये तो समान उद्देश्यों के लिये कार्यरत संस्था को सोंप दी जावेगी। जो इसका उपयोग सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु की करेगी।

...........11

13-12-12

लवकुमार वार्ष्णेय स्टाम्प विक्रेता
तहसील जलेसार (एटा)
ला० नं० 2

कुसुम यादव